फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री लक्ष्मण लाल पिता केसाराम सालवी निवासी बियाना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 19/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.06.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 11.03.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा (6)(1) के अन्तर्गत चाही गई वांछित सूचना, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सु.अधि.05/2019/593(13) दिनांक 28.03.2019 को तैयार की जाकर प्रार्थी को उसी दिन मोबाईल पर सूचना दी गयी प्रार्थी ने कहा कि उक्त सूचना आपके कार्यालय से प्राप्त कर लुंगा। परन्तु प्रार्थी का इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से वांछित सूचना दिनांक 21.05.2019 को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र से भेजी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी के पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये जाने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ व अपीलार्थी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)